संख्या–वे0आ0–2–38%/दस–54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
विशेष सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
मत्स्य विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 18 मार्च, 2011

विषयः– वेतन समिति (2008) के दसवें प्रतिवेदन (भाग–1) में मत्स्य विभाग के सम्बन्ध में की गयी विस्तृत संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है वेतन समिति द्वारा मत्स्य विभाग के सम्बन्ध में दसवें प्रतिवेदन (भाग–1) में दी गयीं संस्तुतियों पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :—

(1) विभाग में विद्यमान सामान्य कोटि के पदों पर समिति द्वारा की गयी सामान्य संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जायें।

(2) परिलेख निरीक्षक के एकल पद को ज्येष्ठ मत्स्य निरीक्षक संवर्ग के पदों में संविलीन कर दिया जाय।

(3) रसायनज्ञ/प्राध्यापक के एकल पदों को सहायक निदेशक संवर्ग में सम्मिलित किया जाय।

(4) विभाग में मण्डल स्तर की प्रयोगशालाओं के अनुपयोगी हो जाने के दृष्टिगत इन प्रयोगशालाओं को समाप्त कर वहाँ विद्यमान उपकरणों आदि को निदेशालय स्थित प्रयोगशाला में स्थानान्तरित कर उसे सुदृढ़ कर और उपयोगी बनाया जाय। मण्डल/जनपद स्तर पर मृदा परीक्षण की आवश्यकता होने पर कृषि विभाग के अन्तर्गत विद्यमान प्रयोगशालाओं का उपयोग किया जाय।

(5) मत्स्य विभाग के अन्तर्गत 19 जनपदों में विद्यमान मत्स्य पालक विकास अभिकरण में कार्यरत कार्मिकों के वेतनमानों को दिनांक 01 जनवरी 1996 से प्रकल्पित आधार पर पुनरीक्षित मानते हुए दिनांक 01 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना का लाभ इन कार्मिकों को शासकीय संकल्प दिनांक 07 फरवरी 2009 की व्यवस्था के अनुसार अनुमन्य किया जाय।

(6) विभाग के अन्य पदों पर कोई विसंगति परिलक्षित नहीं होती है। इन पदों पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में अनुमन्य हो रहे सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन यथावत् रखे जायें।

2— कृपया उपर्युक्त निर्णय के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अजय अग्रवाल)
विशेष सचिव।

संख्या—वे0आ0—2— 38° (1) / दस—54(एम) / 2008टी0सी0, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेब साइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।